


# होश्याद बनें!

अधिकृत संस्थाओं से ही  
ऋण लें.



अधिकृत संस्थाओं से ही ऋण क्यों लेना चाहिए:

- 1 बैंक और रजिस्टर्ड फ्राइनेन्स कंपनियाँ आरबीआई द्वारा विनियमित होती हैं
- 2 सही कार्यप्रणाली का पालन न करने पर शिकायतों के निवारण का प्रावधान है



आरबीआई कहता है...  
वित्तीय अनुशासन,  
चिंता मुक्त जीवन



rbikehtahai

इस संदेश पर फीडबैक देने के लिए, [rbikehtahai@rbi.org.in](mailto:rbikehtahai@rbi.org.in) को लिखें



जनहित में जारी  
**भारतीय रिजर्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)